

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/1398

दिनांक: 28/1/2025


अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद बांसवाडा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	बांसवाडा	बांसवाडा	ग्राम पंचायत लोधा का राजस्व ग्राम जानामेडी, लोधा, ओझरिया, लालपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र । ग्राम पंचायत सेवना का राजस्व ग्राम जानावारी, धामनीया, कांकरा, डूंगरी, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र । ग्राम पंचायत बडवी का राजस्व ग्राम बारीडायलाब., ग्राम पंचायत ठिकरिया का राजस्व ग्राम ठिकरिया, भवानपुरा (ग्रामीण) का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र । (जनसंख्या, जनगणना 2011 अनुसार-15896)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(कुमार चाल गौतम)

आयुक्त एवं शासन सचिव